संख्या-84/2022/001-649-24-1-2022-830 BUDGET-2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 01 जून, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये गये रूपये 20940.00 करोड़ के ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु अनुदान के रूप में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-242/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक 2022-23/426, दिनांक 19 मई, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये गये रूपये 20940.00 करोड़ के ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु अनुदान के रूप प्राविधानित धनराशि रूपये 2000,00,00,000/- (रूपये दो हजार करोड़ मात्र) के सापेक्ष लेखानुदान की अवधि कुल धनराशि रूपये 666,67,00,000/- (रूपये छः सौ छियासठ करोड़ सड़सठ लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 333,33,50,000/- (रूपये तीन सौ तैंतीस करोड़ तैंतीस लाख पचास हजार मात्र) में से धनराशि रूपये 166,66,75,000/- (रूपये एक सौ छियासठ करोड़ छियासठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(2) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह जून, 2022 के प्रथम सप्ताह में अवमुक्त किया जायेगा।

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या , आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(4) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,66,66,75,000 (रुपये एक अरब छियासठ करोड़ छियासठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 2801051900301 आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा पी.एफ.सी. एवं आर.ई.सी. से प्राप्त किये गये रू. 20,940 करोड़ के ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु अनुदान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-20-X-2022-23-दिनांक:1-6-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या- 84/2022/001-649-24-1-2022-830 BUDGET-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।